

**दिनांक— 30.05.2019 को आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की स्थायी वित्त समिति के बैठक की कार्यवाही :-**

**उपस्थिति :-**


1. श्री चैतन्य प्रसाद	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2. श्री जय प्रकाश मंडल	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3. श्री कुमार देवेन्द्र प्रोज्ज्वल	उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य


**जलापूर्ति योजना (हर घर नल जल निश्चय योजना)**


- दिनांक— 01.02.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नगर पंचायत, बलिया के कुल 24 वार्डों में से 12 वार्डों में जलापूर्ति कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं शेष 12 वार्डों में नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।
- उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता (नागरिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक— 166, दिनांक— 15.04.2019 द्वारा नगर पंचायत, बलिया के 12 वार्डों में जलापूर्ति हेतु तकनीकी अनुमोदनोपरांत कुल 04 प्राकलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना से अच्छादित होने वाले वार्ड	तकनीकी अनुमोदन की राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4
1	बलिया लखमिनियाँ - 1	4, 5, 6 एवं 7	183.915
2	बलिया लखमिनियाँ - 2	2, 3 एवं 12	147.609
3	बलिया लखमिनियाँ - 2 A	2, 3, 8, 9 एवं 12	208.919
4	बलिया लखमिनियाँ - 3	15, 16 एवं 17	147.114
<b>कुल योग</b>			<b>687.557</b>

- बैठक में उक्त योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्य योजना मद से आवंटित की जाएगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की कर्णाकित 30 प्रतिशत राशि में से व्यय किया जाएगा।
- चूँकि उक्त कंडिका— 01-04 पर अंकित योजनाओं की कुल राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रु०) से अधिक है एवं ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रु०) से कम है, इसलिए इसकी स्वीकृति माननीय विभागीय मंत्री से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।  
सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

  
(कुमार देवेन्द्र प्रोज्ज्वल),  
उप सचिव।

  
(जय प्रकाश मंडल),  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार—सह—विशेष सचिव।

  
(चैतन्य प्रसाद),  
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 2ब०/जला०-01-93/2016 2702 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 30/05/2019  
प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री  
के आप्त सचिव को सूचानर्थ प्रेषित।

30/5/19  
(के०डी० श्रीज्ज्वल)  
सरकार के उप सचिव।